राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(233)एमई/ग्रुप–1/2013 जयपुर, दिनांक 31 AUG 2016

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(6)एमई/ग्रुप–1/2008 दिनांक 19.09.2013 के द्वारा डॉ0 हिमांशु शर्मा को वरिष्ठ प्रदर्शक, फिजियोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश की अनुपालना में डॉ. हिमांशु शर्मा ने दिनांक 23.09.2013 को वरिष्ठ प्रदर्शक, फिजियोलोजी के पद पर मेडिकल कॉलेज, कोटा में अपनी उपस्थिति दी।

डॉ. हिमांशु शर्मा दिनांक 23.09.2013 को उपस्थित दिए जाने के पश्चात से अधिकतर समय अनुपस्थित रहे है जिसके संबन्ध में प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा के द्वारा कार्यग्रहण करने हेतु उनको नोटिस भी दिये गये। इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 16.06.2014 के द्वारा डॉ0 हिमांशु शर्मा को अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध एक सप्ताह के अन्दर अपना स्पष्टीकरण दिये जाने एवं अन्यथा स्थिति में सेवा समाप्ति की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया था। इस सम्बन्ध में इनके द्वारा न तो इस विभाग को ओर न ही पदस्थापन स्थान मेडिकल कॉलेज कोटा को किसी प्रकार की सूचना प्रस्तुत की गयी।

डॉ0 हिमांशु शर्मा के द्वारा परीविक्षाकाल काल में दिनांक 01.04.2014 से निरन्तर ड्यूटी से अनुपस्थित रहना तथा विभाग द्वारा उनको कार्यस्थल पर उपस्थित होने के लिये नोटिस दिए जाने के बावजूद भी डॉ0 हिमांशु शर्मा के द्वारा ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होने से यह स्पष्ट होता है कि डॉ0 हिमांशु शर्मा की परिवीक्षाकाल में सन्तोषजनक सेवायें नहीं रही है।

अतः राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 27 के उप नियम (1) के प्रावधान के अनुसार डॉ0 हिमांशु शर्मा की सेवा एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती है।

आदेश से,

(डी.एल. तंवर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन विशिष्ठ सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
5. डॉ0 हिमांशु शर्मा, 4–के–6, महावीर नगर–तृतीय, कोटा–324005 (राज.)। (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव